

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/85

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम मुन्धुन
 शौकत अली पुत्र फूलेखा कायमखानी बनाम मुजाहिद अली पुत्र मोलेखा कायमखानी
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र स्थगन नं. 50 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 11.4.2022 | यह प्रार्थना स्थगन अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गिल द्वारा पेश करने पर बाद जाँच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17.05.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर मुन्धुन | |
| 17/5/22 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 13/6/22 को पेश हो। | श. 1703 Bambhar |
| 13/6/22 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23/6/22 को पेश हो। | |
| 23/6/22 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/7/22 को पेश हो। | |
| 21/7/22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/8/22 को पेश हो। रीज | |
| 22/8/22 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/9/22 को पेश हो। | |
| 14/9/22 | पत्रावली पेश हुई व कील पक्षकारान उप. पत्रावली में स्थगन पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते स्थगन आदेश दिनांक 12/10/22 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर मुन्धुन | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुकम की में जार् |
|---------------|---|---|
| 12/10/22 | <p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। हस्तगत निगरानी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार/गैर निगरानीकार की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार का कथन है कि -हस्तगत प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि का पूर्व में भी अनावेदक नंबर-1 के पिता ने खसरा नंबर 466/1 का एक साजसी पट्टा दिनांक 13.12.2005 को बनाया था वो पट्टा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू द्वारा दिनांक 12.3.2008 को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो मुजाहिद अली की अपील दिनांक 28.10.2010 को खारिज की गयी जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर में मुजाहिदीन द्वारा की गई जो भी दिनांक 10.7.2017 को खारिज हो गयी। मुजाहिदीन अली द्वारा एक दावा मुजाहिदीन बनाम शोकत अली आदि न्यायालय सिविल न्यायाधीश, झुंझुनू में किया गया जो दिनांक 12.7.2019 को खारिज हो गया। अदालत ने उक्त भूमि पर मुजाहिदीन का कब्जा नहीं माना, जिसकी अपील जिला न्यायाधीश, झुंझुनू के न्यायालय में विचाराधीन होना बताया तथा कथन है कि अनावेदक नंबर 1 ने उक्त तमाम तथ्यों को छिपाकर साज करके आवेदक की भूमि का पट्टा संख्या 68 बहक मुजाहिद अली दिनांक 10.1.2022 को ग्राम पंचायत मलसीसर से अपने नाम से बनवा लिया उक्त पट्टे की चतुर्थ सीमाएं भी गलत दर्ज हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये और बिना नियमों की पालना किये उक्त पट्टा जारी किया गया है। अनावेदक नंबर-1 उक्त पट्टे की आड़ में भूमि को विक्रय, रहन बय करना चाहता है। अतः अनावेदक नंबर 1 को निगरानी के निर्णय तक उक्त पट्टा संख्या 68 की आड़ में भूमि को विक्रय रहन बय नहीं करे मौके व रिकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं01 ने कथन किया कि विवादित भूमि पर वे वर्षों से काबिज हैं और ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा संख्या-69 दिनांक 10.1.2022 जारी किया गया है, जो सही है। अतः निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।</p> <p>मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार/गैर निगरानीकार की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया तथा निगरानी पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत निगरानी में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाता है। अनावेदक संख्या-1 मुजाहिद अली पुत्र भोले खां जाति कायमखनी निवासी वार्ड नं0 7 मलसीसर को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे निगरानी के निर्णय तक ग्राम पंचायत मलसीसर के संकल्प संख्या -1 दिनांक 05.1.2022 की अनुपालना में दिनांक 10.1.2022 को जारी पट्टा संख्या 68 बहक मुजाहिद अली की आड़ में उक्त भूमि को विक्रय, रहन बय नहीं करें तथा मौका व रिकार्ड की यथा-स्थिति बनाये रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा मूल निगरानी के संलग्न हो।</p> | |